E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

विधानसभा के निर्वाचन में विभिन्न शक्तियों के महत्व की प्रासंगिकता

संकल्प साहू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला– निवाडी (म.प्र.)

डॉ. उषा त्रिपाठी

निर्देशक,प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला– निवाडी (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/08/2025

Paper date Publishing Date

10/08/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.17165861

IMPACT FACTOR 5.924

सारांश

संविधान के भाग–6 में राज्यों के शासन के लिए एक सी संरचना अभिकथित की गई है। किंतु जम्मू–कश्मीर में यह शासन विधान कुछ अलग होगा। संविधान द्वारा भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था अपनायी गई है। किन्तु संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग न करके राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा, जो राज्यपाल, विधानपरिषद् एवं विधानसभा से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमण्डल द्विसदनीय है वहाँ एक उच्च एवं स्थायी सदन का नाम विधानपरिषद् एवं दूसरे निम्न सदन का नाम विधानसभा होगा।

भारत के संविधान में न केवल संघ का संविधान है बल्कि उसमें राज्यों का संविधान भी है। वस्तुतः कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष उपबन्ध हैं। प्रायः राज्य स्तर पर भी संघ के समान संसदीय शासन प्रणाली है ।

जिसमें एक संवैधानिक अध्यक्ष तथा मंत्रिपरिषद् विधानमण्डल के जन निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग राज्य संविधान है तथा अन्य अनेक राज्यों को भी विशेष दर्जा प्राप्त है। यथा–महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य (अनुच्छेद 371), नागालैंड (अनुच्छेद 371 क), असम (371 ख), मणिपुर (371 ग), आन्ध्रप्रदेश (371 घ तथा 371 ङ), सिक्किम (371 च), मिजोरम (371 छ), अरुणाचल प्रदेश (371 ज), गोवा (371 झ) तथा कर्नाटक (371 ञ), अथवा (371–श्र) आदि प्रमुख हैं। नोट–संविधान का श्भाग–6 अनुच्छेद 152–213 राज्य प्रशासन से सम्बन्धित है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों का संघ शब्दावली के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा था, यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, तथापि वह संघ राज्यों के किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है और संघ राज्य समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।1

डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार, राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन विधानसभा है जिसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। कुछ राज्यों में विधानपरिषद् नामक उच्च सदन भी है जिसमें नाम निर्देशित और परोक्ष रूप से निर्वाचित है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पायली के अनुसार, विधानसभा की रचना लोकसभा के ढाँचे पर है तथा विधानपरिषद् की राज्यसभा से समानता है। यदि राज्य की विधानसभा उस राज्य में द्वितीय सदन विधानपरिषद् की स्थापना या समाप्ति करने के लिए एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर के संसद को भेजते हैं तो संसद ऐसा कर सकती है। राज्य विधानसभा के संगठन को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा रहा है–

- निर्वाचन पद्धति–साधारण निर्वाचन पद्धति एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बाँटा जाता है कि 75,000 जनसंख्या को एक से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है।2
- सदस्य संख्या–राज्य में प्रथम आम चुनाव 1952 में राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा के विलय होने पर सदस्य संख्या 190 हो गई तथा 1977 में 200 कर दी गई। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 एवं अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई। वर्तमान में राजस्थान राज्य के विधानसभा की 200 सदस्य संख्या निर्धारित की गई।

भारत में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य– उत्तरप्रदेश (यू.पी.) है जिसकी विधानसभा सदस्य संख्या 403 है। (उत्तरांचल के अलग राज्य बनने से पूर्व सदस्य संख्या 425 थी) सबसे कम विधानसभा सदस्य सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 एवं गोवा में भी 40 सदस्य, अरुणाचल प्रदेश 40 तथा पुदुचेरी की विधानसभा सदस्य संख्या 30 है।

69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना कर एक राज्य का दर्जा दिल्ली को प्रदान किया गया है तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद् के निर्माण का प्रावधान रखा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के प्रतिनिधत्व से संबंधित व्यवस्था है।

नोट–संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई है। नोट–जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को 100 सीटें दी गई हैं, किन्तु 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 403 निर्वाचित सदस्य व । मनोनीत सदस्य कुल 404 विधानसभा सदस्य हैं। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इस प्रसंग में अपवाद हैं। इनमें सिक्किम राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 32 और अन्य राज्यों की 40 है।

देश के कुल 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में से केवल दो अर्थात् दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएँ स्थापित की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश के विभाजन से नवसृजित (2) जून, 2014) 29वें राज्य तेलंगाना की विधानसभा सदस्य संख्या 119 है शेष आन्ध्र प्रदेश की 175 है। सदस्यों की योग्यताएँ– अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा सदस्यों की निम्न योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं–

- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो।
- पागल, दिवालिया एवं अपराधी न हो।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- लाभ के पद पर न हो।

अनुच्छेद 190(1) और 190(2) के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) में व्यवस्था की गई है। प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेम्बरशिप रूल्स, 1950 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिन के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता का त्याग करना होगा। यदि वह अपने एक सदन की सदस्यता का त्याग नहीं करता या इस प्रकार की कोई सूचना नहीं देता तो उसका उस सदन में स्थान खाली माना जायेगा, जिसका कि वह पहले सदस्य रहा हो।

कार्यकाल अनुच्छेद 172 (1) में 5 वर्ष का कार्यकाल संविधानानुसार निश्चित परन्तु समय से पूर्व भी भंग हो सकती है इसलिए उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। जम्मू–कश्मीर में 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है (जो अपवाद है।)

राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परन्तु यदि संकटकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।3

अनुच्छेद 191 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य माना जायेगा, यदि वह संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित दल–बदल कानून द्वारा दोषी पाया जाये तो अनुच्छेद 191 (2) में वर्णित अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण विधानसभा का अध्यक्ष करेगा।

अनुच्छेद 192 के अनुसार–राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह से विधानमण्डल के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कर सकेगा।

अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन अनिवार्य रूप से होने चाहिए एवं दोनों के बीच 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 174 (2) (क) के अनुसार, राज्यपाल विधानमण्डल के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा।

शपथ ग्रहण नव निर्वाचित राज्य विधानसभा सदस्यों को राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 188 के अनुसार–विधानमण्डल के किसी सदन हेतु निर्वाचित या मनोनीत हो जाने के बाद भी कोई व्यक्ति सम्बन्धित सदन में अपना स्थान तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह राज्यपाल या उनकी अनुपस्थिति में इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी से शपथ ग्रहण न कर ले।4

पदाधिकारी–अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में विधानसभा के 18वें अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हैं। उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह है। विधानसभा का अध्यक्ष मत विभाजन की स्थिति में अपने मत का प्रयोग नहीं करता है किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है।

अनुच्छेद 179 के अन्तर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाया जाने से सम्बन्धित प्रावधान है। अनुच्छेद 180 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का भी रिक्त है, तो ऐसा कोई सदस्य जिसे राज्यपाल इस निमित नियुक्त करे, वह अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा। जहाँ रिक्ति स्थायी न होकर, अस्थायी हो तब विधानसभा की अध्यक्षता का निर्णय विधानसभा संचालन की प्रक्रिया के नियमों द्वारा होगा।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अनुच्छेद 181 (1) के अनुसार जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत होगा, तब तुरन्त ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को मिले विशेषाधिकार भी समाप्त हो जायेंगे, ये लोग मात्र सदन के सदस्य रह जायेंगे।

गणपूर्ति– 1/10 निर्धारित की गई है। गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसकी उपस्थिति पर सदन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। विशेषाधिकार–विधानसभा के सदस्यों को प्रमुख रूप से निम्न विशेषाधिकार प्राप्त विधानसभा के सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इनके भाषण के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब विधानसभा का अधिवेशन चल रहा हो तो अधिवेशन में 40 दिन पहले और अधिवेशन के 40 दिन बाद तक किसी सदस्य को दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

विधायी शक्ति– धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश होता है। विधानसभा में ही पारित होता है जबकि विधानपरिषद् केवल 14 दिन तक रोक सकती है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी सर्वप्रथम पेश हो सकता है एवं उसके पारित होने में दोनों सदनों की समान भूमिका होती है। अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति से ही वह कानून बन जाता है। राज्य के विधानमण्डल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, जो राज्यसूची में और समवर्ती सूची में दिये गये है, परन्तु समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि यदि केन्द्र द्वारा उसी विषय पर निर्मित विधि के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 196 के अनुसार विधानमण्डल में लम्बित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा।

कार्यपालिका शक्ति– विधानसभा के सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। विधानसभा के सदस्यों के बहुमत के आधार पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् के निर्माण में भी मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों के साथ भी परामर्श या विचार–विमर्श करता है।

निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति– विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के चयन के साथ–साथ एक विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है तथा ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनावों में भी भाग लेते हैं।5

वित्तीय शक्ति–वित्तीय शक्ति पूर्ण रूप से विधानसभा के पास है, क्योंकि वित्त विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पारित होने पर विधानपरिषद् केवल 14 दिन तक रोक सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम विनिश्चय विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम प्रत्येक वर्ष आय–व्यय का लेखा–जोखा (बजट) प्रस्तुत करता है। विधानमण्डल से 10 विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। अनुच्छेद 198 के अन्तर्गत धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। विधानपरिषद् उसे केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकता है।

अनुच्छेद 199 (2) के अनुसार कोई भी विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन सम्बन्धी दण्ड के आरोपण का या अनुज्ञप्तियों के लिए ली गई सेवाओं के लिए फीसों की माँग का उपबन्ध करता है अथवा केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जायेगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबन्ध करता है। विधानपरिषद् अधिकतम 4 माह तक उसे रोक सकती है। पहली बार में तीन माह के लिए और दूसरी बार में एक माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। जबकि साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधानपरिषद् में निर्मित हो और उसे विधानपरिषद्

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अस्वीकृत कर दे तो विश्रेयक समाप्त हो जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

संदर्भ सूची

1. लाखा राम चौधरी, भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, संस्करण 2019, पृ. 150.
2. लाखा राम चौधरी, भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, संस्करण 2019, पृ. 151.
3. लाखा राम चौधरी, भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, संस्करण 2019, पृ. 152.
4. लाखा राम चौधरी, भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, संस्करण 2019, पृ. 153 5 वहीं, पृ. 55.